

U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Daman District Disaster Management Authority
Collectorate, Dholar, Moti Daman

No. LE/LI/DMN/COVID19/Dis.M/2020/1880

Dated : 29/03/2020
30

Read : GOI, MHA Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 29.03.2020

ORDER

In pursuance of the above mentioned order and the ongoing efforts towards the containment and prevention of spread of Novel Corona Virus (COVID-19) in Daman District and to deal with the situation for effective implementation of the lockdown measures under Section 30, sub-section 2 (xviii) of the Disaster Management Act, 2005, it is hereby ordered that :-

- (i) All migrants, who are or trying to reach their home states/towns/villages, shall be kept in the shelters / quarantine facilities with proper screening for minimum period of 14 days as per standard health protocol. The Superintendent of Police shall ensure that all such cases are taken directly to nearest quarantine facilities in coordination with the Directorate of Health and Medical Services.
- (ii) Wherever the workers including the migrant workers, are living in rented accommodation, the landlords of those properties shall not demand payment of rent for a period of one month
- (iii) If any landlord is forcing labourers and students to vacate their premises, they will be liable for action under the act.



(Dr. Rakesh Minhas)
Collector, Daman

To,

- (1) All concerned for necessary action and information please
- (2) President, District Panchayat, Daman
- (3) President, Daman Municipal Council
- (4) All Councillors, DMC
- (5) All Members, District Panchayat and Sarpanchs, Gram Panchayats, Daman

Copy for kind information to:-

- (1) PS to Hon'ble Administrator, DNH & DD
- (2) Advisor to Hon'ble Administrator, DNH & DD
- (3) Secretary (Revenue), DNH & DD
- (4) Secretary (Health), DNH & DD
- (5) Superintendent of Police, Daman
- (6) Dy. Collector, Daman
- (7) FPO, Daman for wide publicity
- (8) SIO, NIC, Daman with request to place the above order on the Official Website

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
दमण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण.

सं. श्र.रो./श्र.नि./दमण/कोविड19/आपदा प्रबं./2020/1880

दिनांक :- 29/03/2020.
30

पढ़ें :- भारत सरकार, गृह मंत्रालय का आदेश सं. 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 29/03/2020.

आ दे श

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में एवं दमण जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की रोकथाम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, उप धारा 2 (xviii) के तहत लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चल रहे प्रयासों के अनुसरण में एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि :-

- (i) सभी प्रवासी, जो अपने गृह राज्यों/शहरों/गांवों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों की अवधि हेतु उचित स्क्रीनिंग के साथ आश्रय स्थलों/क्वारेन्टीन सुविधाओं में रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी मामलों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा निदेशालय के समन्वय से सीधे निकटतम क्वारेन्टीन सुविधाओं में ले जाया जाए।
- (ii) जहां भी प्रवासी कामगारों के साथ अन्य कामगार किराए के घरों में रह रहे हैं, इन संपत्तियों के मकान मालिक एक महीने की अवधि हेतु किराया की मांग नहीं करेंगे।
- (iii) यदि कोई मकान मालिक श्रमिकों एवं छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनपर कार्रवाई की जाएगी।

राकेश
29/3/2020

(डॉ. राकेश मिन्हास)
समाहर्ता, दमण.

सेवा में,

1. सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.
2. अध्यक्ष, जिला पंचायत, दमण.
3. अध्यक्ष, दमण नगरपालिका परिषद.
4. सभी पार्षद, दमण नगरपालिका परिषद.
5. सभी सदस्य, जिला पंचायत एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, दमण.

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, दानह एवं दमण दीव.
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार, दानह एवं दमण दीव.
3. सचिव (राजस्व), दानह एवं दमण एवं दीव.
4. सचिव (स्वास्थ्य), दानह एवं दमण एवं दीव.
5. पुलिस अधीक्षक, दमण.
6. उप समाहर्ता, दमण.
7. एफपीओ, दमण को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु.
8. एसआईओ, एनआईसी, दमण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।